संशोधन

सं0-98/चि0-3-2002-68/2001

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरांचल ।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक:28 फरवरी, 2002

विषय:-राजकीय चिकित्सालयों में साज-सज्जा एवं उपकरणों की व्यवस्था के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार के पत्र सं0-बी0ई0/चिकित्सा-2001-02/1425 दिनांक 18-2-2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-162/चि0-3-2001-68/2001 दिनांक 31-1-02 के प्रस्तर "6" को निम्नानुसार पढा जाए:-

(6) इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2001-02 के आय व्ययक के अनुदान सं0-12 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110-अस्पताल तथा औषधालय 12-राजकीय चिकित्सालयों में साज सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था 26 मशीनें और सज्जा/उपकरणों और सेक्शन 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-162/चि0-3-2001-68/2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0:-98/चि0-3-2002-68-2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल।
3-समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4-निदेशक, कोषागार, देहरादून।
5-वित्त अनुभाग -2
6-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

(24)